न्यायालयः— दिलेश कुमार यादव, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) द्वारा जमानत आवेदन क्र0 2001/2023 (रोशन जांगड़े एवं अन्य वि. छ. ग. राज्य) में दि. 25/07/2023 को पारित आदेश की प्रतिलिपि :—

1— रोशन जांगडे, उम्र 22 वर्ष
पिता रमेश कुमार जांगडे
पता — ब्लॉक—33, रूम नं.—13,
बी.एस.यू.पी.हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
एश्वर्य किंग्डम के पास, कचना,
रायपुर (छ.ग.)

2— आशीष जांगडे उम्र 18 वर्ष
पिता — छोटू जांगडे
पता — रायपुर (छ.ग.)

3— मनीष गायकवाड़, उम्र 29 वर्ष
पिता हीरालाल गायकवाड़
पता : वार्ड नं.2, दुर्गा चौक के पास,
बड़ा अशोक नगर, रायपुर (छ.ग.)

4— राकेश बघेल, उम्र 33 वर्ष
पिता — कन्हैयालाल बघेल,
पता : रायपुर (छ.ग.)

5— धनंजय बरमाल, उम्र 30 वर्ष

Scanned with CamScanner

पिता श्री सत्यनारायण बरमाल

पता : शंकर नगर, खम्हारडीह, रायपुर छ.ग.

6– राकेश रात्रे, उम्र 26 वर्ष

पिता : भागवत रात्रे,

पता – म.नं.8, वार्ड नं.31,

बी.एस.यू.पी. हाउसिंग बोर्ड

एश्वर्या किंग्डम, कचना, रायपुर (छ.ग.)

7– विक्रम जांगडे, उम्र 22 वर्ष लगभग

आत्मज – धनेश जांगडे,

निवासी : मिनी बस्ती, जरहाभाठा,

बिलासपुर (छ.ग.)

8– राजकुमार सोनवानी, उम्र 40 वर्ष

पिता भाउराम सोनवानी

पता : बिलासपुर (छ.ग.)

9– मोहनीस कुमार गेंदले, उम्र 18 वर्ष

पिता – व्यास कुमार गेंदले

पता : बिलासपुर छ.ग.

10– व्यंकटेश मनहर उर्फ राजा, उम्र 19 वर्ष

पिता – इंद्रजीत मनहर

पता : बरतोरी, बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.)

11– विनय कौशल, उम्र 29 वर्ष

पिता : प्रियालाल कौशल

पता : म.नं.349, वार्ड नं.–8

Scanned with CamScanner

रिंग रोड नं.–2, गौरव हॉस्पिटल के पास,
बिलासपुर (छ.ग.)

12– संजीत बर्मन, उम्र 36 वर्ष
पिता टीकाराम बर्मन,
पता – रिंग रोड–2, शांति नगर,
बिलासपुर (छ.ग.)

13– योगेश मनहर, उम्र 32 वर्ष
पिता – हरेन्द्र मनहर
पता – 483, वार्ड नं.–7,
मिनीबस्ती, जरहाभाठा,
बिलासपुर (छ.ग.)

14– अभिषेक कामले, उम्र 22 वर्ष
पिता लक्ष्मीनारायण
पता : बिलासपुर (छ.ग.)

15– अशवन भास्कर, उम्र 22 वर्ष
पिता जुटेल,
पता : मुंगेली (छ.ग.)

16– जागृत खाण्डे, उम्र 24 वर्ष
पिता : राजेश कुमार
पता : म.नं.–302/1, वार्ड नं.–21,
जयस्तंभ के पास, जरहाभाठा,
मिनीबस्ती, बिलासपुर (छ.ग.)

17– आसुतोष जानी, उम्र 26 वर्ष

Scanned with CamScanner

पिता – भागचंद जानी

पता : जयस्तंभ के पास, जरहाभाठा,

मिनीबस्ती, बिलासपुर (छ.ग.)

18– अमन दिवाकर, उम्र 19 वर्ष

पिता : शिव कुमार,

पता : बिलासपुर छ.ग.

19– अंकित पात्रे, उम्र 25 वर्ष

पिता अरूण पात्रे,

पता : बिलासपुर (छ.ग.)

20– लवकुमार, उम्र 26 वर्ष

पिता : अमरदास

पता : वार्ड नं.19, इंदलपुर,

लालपुर, जिला मुंगेली (छ.ग.)

21– विरेन्द्र धृतलहरे, उम्र 28 वर्ष

पिता बृजलाल धृतलहरे

पता : मुंगेली (छ.ग.)

22– सोनवर्षा अहिरे, उम्र 21 वर्ष

पिता : श्री नारायण दास

पता : छिरहुट्टी, लोरमी,

जिला मुंगेली (छ.ग.)

23– दुलेश्वर कुमार, उम्र 19 वर्ष

पिता : श्री ऋषि कुमार

पता : चरनीटोला, चरनीतोला,

Scanned with CamScanner

फुलवारी मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)

24– निक्कू कुमार, उम्र 28 वर्ष

पिता – लच्छीराम,

पता : वार्ड नं.15, कटघरी

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

25– डंकेश बर्मन, उम्र 21 वर्ष

पिता : मोतीलाल बर्मन

पता : वार्ड नं.–20, गुड़ीपारा, रसौटा,

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

26– कुंवर ओगरे, उम्र 27 वर्ष लगभग

पिता – सुंदरलाल ओगरे

पता : वार्ड नं.–4, खिसोरा, अकलतरा,

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

27– सुरेन्द्र लहरे, उम्र 25 वर्ष

पिता : हीरालाल लहरे,

पता : वार्ड नं.–7, सिद्ध बाबा मोहल्ला,

अमोरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

28– हरेश कुमार बंजारे, उम्र 21 वर्ष

पिता : हेमराय बंजारे,

पता – (अमलीडीहा) अमलीडीह,

जिला कबीरधाम (छ.ग.)

29– चंद्रभूषण धृतलहरे, उम्र 20 वर्ष

पिता – दिलीप धृतलहरे,

Scanned with CamScanner

पता – बेमेतरा (छ.ग.)

.... आवेदकगण/अभियुक्तगण

–विरूद्ध–

छ.ग. शासन द्वारा भारसाधक अधिकारी,

आरक्षी केन्द्र विधान सभा, रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.) .... अनावेदक

पश्चात (25.07.2023)

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर से उपरोक्त जमानत प्रकरण विधिवत् निवर्तन हेतु अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री किशोर नारायण अधिवक्ता ।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्रीमती वर्षा राठौर, अति. लोक अभियोजक ।

थाना विधान सभा, रायपुर जिला रायपुर के अपराध क्र. 213/23, धारा 146, 147, 353, 332, 294 भा. द.सं. एवं धारा 67–ए आई.टी. एक्ट की केस डायरी विरोध पत्र सहित प्राप्त ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से सूची अनुसार दस्तावेजों की प्रतियां पेश की गयी, प्रतिलिपि अति.लोक अभियोजक को दी गयी ।

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष का तर्क जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. के संबंध में सुना गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण का आवेदन एवं निवेदन है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा उक्त अपराध पंजीबद्ध कर, दिनांक 18.07.2023 को गिरफ्तार कर, श्री भूपेश कुमार बसंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दं.प्र. सं. दिनांक 19.07.2023 को निरस्त कर दिया गया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । आवेदकगण प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सदस्य हैं और इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिये लोकतांत्रिक तरीकों से तत्पर रहते हैं और इसी अनुक्रम में वे पूर्व में शासन एवं प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे कि छ.ग.राज्य में जो कर्मचारी एवं अधिकारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत है उन पर कार्यवाही की जाये, उनका बचाव न किया जाये । इस मुद्दे पर आमरण अनशन किया गया था, जिसे नजर अंदाज किया गया और उसके पश्चात अंतिम विकल्प के रूप में निर्वस्त्र प्रदर्शन किया गया, जो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण था । किसी भी पुलिस अधिकारी पर बल का प्रयोग नहीं किया गया है । सूचनाकर्ता, आवेदकगण को व्यक्तिगत रूप से नहीं

Scanned with CamScanner

जानते हैं । आवेदकगण के द्वारा कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । अपराध धारा 146, 147, 294, 332, 353 भा.द.सं. का गठन नहीं होता है । धारा 67–अ आई. टी. एक्ट के तत्व भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी आवेदक ने विर्वस्त्र विडियो न ही बनाया और ना ही इलेक्ट्रानिक माध्यम से संचारित किया है । जिन धाराओं में प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गयी है, उन पर विधि अनुसार अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है । प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है, आवेदकगण/अभियुक्तगण दर्शित पते के निवासी हैं, उनके फरार होने की संभावना नहीं है, वे सभी शर्तो का पालन करने को तैयार हैं, अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये ।

आवेदक/अभियुक्त रोशन जांगडे की ओर से शपथकर्ता श्रीमती मैना जांगडे ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त आशीष जांगड़े की ओर से शपथकर्ता श्रीमती नेहा जांगड़े ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त मनीष गायकवाड़ की ओर से शपथकर्ता श्रीमती छाया खरे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त राकेश बघेल की ओर से शपथकर्ता श्रीमती प्रमिला बघेल ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त धनंजय बरमाल की ओर से शपथकर्ता श्रीमती निर्मला ने उसे अपना पुत्र होना,

Scanned with CamScanner

आवेदक/अभियुक्त राकेश रात्रे की ओर से शपथकर्ता श्रीमती संतोषी रात्रे ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त विक्रम जांगड़े की ओर से शपथकर्ता आशीष कुमार ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/ अभियुक्त राजकुमार सोनवानी की ओर से शपथकर्ता शिवकुमार सोनवानी ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त मोहनीस गेंदले की ओर से शपथकर्ता अनिता गेंदले ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/ अभियुक्त व्यंकटेश मनहर की ओर से शपथकर्ता इंद्रजीत मनहर ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त विनय कौशल की ओर से शपथकर्ता विवेक कुमार कौशल ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त संजीद बर्मन की ओर से शपथकर्ता राहुल बर्मन ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त योगेश मनहर की ओर से शपथकर्ता केरा बाई ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त आशीष काम्बले की ओर से शपथकर्ता रिकवेश काम्बले ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/ अभियुक्त अशवन भास्कर की ओर से शपथकर्ता जलेश भास्कर ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त जागृत खाण्डे की ओर से शपथकर्ता हरिवंश खाण्डे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त आशुतोष जानी

Scanned with CamScanner

की ओर से शपथकर्ता आशीष कुमार जांगडे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त अमन दिवाकर की ओर से शपथकर्ता शिव कुमार दिवाकर ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त अंकित पात्रे की ओर से शपथकर्ता अरूण कुमार पात्रे ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त लव कुमार की ओर से शपथकर्ता रविशंकर सतपुरे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त विरेंद्र धृतलहरे की ओर से शपथकर्ता अजीत धृतलहरे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त सोनवर्षा अहिरे की ओर से शपथकर्ता तुलसी अहिरे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त दुलेश्वर की ओर से शपथकर्ता सुरेंद्र कुमार फुटे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त निक्कू कुमार की ओर से शपथकर्ता आकाश पाटले ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त डंकेश बर्मन की ओर से शपथकर्ता संतोष कुमार ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त कुंवर ओगरे की ओर से शपथकर्ता सुंदर लाल ओगरे ने उसे अपना पुत्र होना, आवेदक/अभियुक्त सुरेंद्र लहरे की ओर से शपथकर्ता सोहन लहरे ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त हरेश बंजारे की ओर से शपथकर्ता कलावती ने उसे अपना भाई होना, आवेदक/अभियुक्त चंद्रभूषण की ओर से शपथकर्ता बृजलाल ने उसे अपना भतीजा होना बताते हुये, जमानत आवेदन के समर्थन में

Scanned with CamScanner

पृथक–पृथक शपथ पत्र पेश किये और यह बताये है कि उनकी ओर से पेश धारा 439 द.प्र.सं. का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय या माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत, लंबित एवं निरस्त नहीं हुआ है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । आरोपित अपराध धारायें न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणयोग्य है । उनके द्वारा पूर्व में आगामी मानसून सत्र दिनांक 18 जुलाई, 2023 को विधान सभा रायपुर के सामने सामूहिक रूप से निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन की सूचना जिला कलेक्टर रायपुर को दी जा चुकी थी । उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा है । शासन /प्रशासन, आवेदकगण/अभियुक्तगण को दबाने के लिये कार्यवाही की है, अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्क के संबंध में न्याय दृष्टांत :: 2022 Livelaw (SC) 577 Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureas of Investigation & Anrs., माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPCR No. 221 of 2021 Mukesh Kumar & ors Vs. State of C.G. & Ors में पारित

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 26.06.2023 एवं माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा M.Cr.C. No. 10473 of 2022 Khambham Anand Vs. State of C.G. में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 पेश किया गया है ।

राज्य की ओर से ए.जी.पी. श्रीमती वर्षा राठौर द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुये तर्क किया गया है, कि आवेदकगण द्वारा बड़ी संख्या में मानसून सत्र के दौरान विधान सभा मार्ग में निर्वस्त्र होकर, प्रदर्शन किया गया है और पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार करके, शासकीय कर्तव्य में बाधा पहुंचाकर, मारपीट किये और घटना के संबंध में तस्वीरे सोशल मीडिया में प्रचारित व प्रसारित कर, साझा किये, मामला गंभीर प्रकृति का है और मामला विवेचना में है, अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

केस डायरी के अनुसार, प्रार्थी सहायक उपनिरीक्षक धन्नालाल पठारे ने थाना विधान सभा रायपुर में दिनांक 18.07.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह थाना गुढ़ियारी रायपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ है, दिनांक 18.07.2023 को उसकी ड्यूटी पट्रोलिंग पार्टी नंबर 1 में अन्य कर्मचारियों के साथ विधान सभा में लगी थी, वह शासकीय वाहन में पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था, आमासिवनी के पास ड्यूटी पर रोड

Scanned with CamScanner

में खड़े थे, विक्रम जांगड़े, राजकुमार सोनवानी, मोहनीश गेंदले, व्यंकटेश मनहर, विनय कौशल, संगीत बर्मन, योगेश मनहर, अभिषेक कांबले, अशवन कुमार भास्कर, जागृत कुमार खाण्डे, आशुतोष जानी, अमन दिवाकर, अंकित पात्रे, धनंजय बरमाल एवं 10–12 अन्य लोग एक राय होकर संगठित होकर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे 267 लोगों के द्वारा नौकरी करने वालों के खिलाफ मुंह तो खोलो आपका बेटा आंदोलनकारी बनकर नारेबाजी करते हुये, नग्न प्रदर्शन करने लगे एवं विधान सभा घेरने जाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें रोकने का काफी प्रयास किया गया, समझाया गया, किंतु प्रदर्शनकारी नहीं माने और नारेबाजी करते हुये उग्र हो गये और विधि विरूद्ध जमाव करके, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाये और झूमा झटकी कर, पुलिस कर्मचारियो के साथ एवं उसके साथ हाथापाई किये, जिससे उसे और कुछ कर्मचारियों को चोट आयी है ।

प्रार्थी की उक्त शिकायत पर से पुलिस थाना विधान सभा रायपुर में उक्त अपराध पंजीबद्ध कर, प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आहत पुलिस कर्मियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया । आवेदक/अभियुक्त धनंजय बरमाल द्वारा अपने मोबाइल से विभिन्न ग्रुपों में नग्न फोटो भेजा जाना पाकर, उसे जप्त किया गया । प्रकरण में धारा 67–ए आई.टी.एक्ट

Scanned with CamScanner

की अपराध धारा जोड़ी गयी । आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है ।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है, कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 146, 147, 353, 332, 294 भा.द.सं. एवं धारा 67–ए आई.टी.एक्ट के अपराध का अभियोग है । अभियोजन के मामले के अनुसार, आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विधान सभा के मानसूत्र के दौरान विधान सभा मार्ग में नग्न प्रदर्शन करते हुये, विधान सभा घेरने जाते समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी व हाथापाई करके, चोट पहुंचाकर, उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किये और शासकीय कार्य में बाधा डाले है तथा नग्न प्रदर्शन के फोटो को सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किये । प्रकरण में विवेचना अभी जारी है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से पेश उपरोक्त न्याय दृष्टांत का लाभ उन्हें इस वर्तमान प्रकरण की स्थितियों व परिस्थितियों को देखते हुये, प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

अतः प्रकरण के समस्त स्थिति, परिस्थितियों को देखते हुये, आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

Scanned with CamScanner

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की एक प्रति अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर को प्रदान की जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावें।

सही/–
(दिलेश कुमार यादव)
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करता हूं, कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय/आदेश/कथन में टंकित की गयी है ।

स्टेनोग्राफर का नाम : विनोद कुमार तम्बोली

Scanned with CamScanner